हुकम

	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 103/2021 अनवान ओमप्रकाश बनाम गिरधारीराम	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए

07/09/21

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 04 के वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 से 03, 05, 07, 08 से 10 ईकतरफा। अप्रार्थी संख्या 06 को नोटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुका है। आज बावजूद सुचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई अमल में लाई गई। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा अलाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1150/594 रकबा 18.03 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील अप्रार्थी संख्या 04 का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 04 का खेत प्रार्थी के पड़ौस में आया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 04 के खेत की सीमाओं को छोड़ते हुए तथा अप्रार्थीगण की उपस्थिति में प्रार्थी के खेत की नेखमबन्दी की जाती है तो अप्रार्थीगण को कोई आपति नही है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है। अप्रार्थीगण जवाब में उल्लेखित तथ्यों का मौके पर पैमाईश के दौरान ज्ञान होगा और उसी अनुसार कार्रवाई संभव होगी। वर्तमान में अभिलिखित खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा अलाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1150/594 रकबा 18.03 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2021/ 4547 दिनांक – 12.9.21

प्रार्थी **बनाम** **अप्रार्थीगण**

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1 ओमप्रकाश पुत्र पुरूषोतमदास जाति माहेश्वरी निवासी भगतों की गली, बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 गिरधारीराम 2 सवाईराम पिसरान इन्द्राराम 3 नैनु पतनी इन्द्राराम जाति दर्जी 4 आसुराम पुत्र खींयाराम जाति जाट 5 कानसिंह पुत्र आम्बसिंह जाति राजपूत 6 हुकमाराम पुत्र कलाराम जाति माली 7 मांगसिंह 8 धर्मसिंह 9 नगसिंह पिसरान कुम्पसिंह जाति राजपूत निवासी अलाणियों की ढाणी, बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर 10 तहसीलदार बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 103/2021 दिनांक– 07/09/21

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा अलाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1150/594 रकबा 18.03 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2021/ 4548-4551 दिनांक– 12.9.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बान्दरा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. ओमप्रकाश पुत्र पुरूषोतमदास जाति माहेश्वरी निवासी भगतों की गली, बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी गिरधारीराम पुत्र इन्द्राराम वगैराह जाति दर्जी निवासी अलाणियों की ढाणी, बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर